पत्र संख्या-सी०एस० 1।ए2-202।82---3829
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री एस०के० मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।विशेष सचिव।विभागाध्यक्ष।

22 कार्तिक, 1904 (श०)
पटना-15, दिनांक---
13 नवम्बर, 1982 ई०।

विषय---पीतपत्र पर आदेश।

महाशय,

सचिवालय अनुदेश के नियम 6.13 में दिनचर्या टिप्पणी के सम्बन्ध में उल्लेख है। चूंकि यह दिनचर्या टिप्पणी पीले पत्र पर लिखी जाती है इसको पीतपत्र या, बफ शीट (Buff sheet) भी कहा जाता है।

2. पीतपत्र के उपयोग के सम्बन्ध में निम्नांखित आदेश निर्गत किये जाते हैं:---

(i) पीतपत्र का दिनचर्या टिप्पणी को छोड़ कर किसी दूसरे मसरफ में इस्तेमाल नहीं किया जायगा। दिनचर्या टिप्पणी किसी संचिका के सम्बन्ध में अन्तर विभागीय स्मार के लिये अथवा किसी विभाग में किसी लम्बित विषय को शीघ्र निष्पादन के सम्बध में स्मार के रूप में लिखा जायगा।

(ii) दिनचर्या टिप्पणी के आधार पर किसी प्रकार का आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा। यदि किसी स्तर से कोई आदेश निर्गत भी किया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। दिनचर्या टिप्पणी पर यदि कोई आदेश निर्गत किया जाता है तो उसको संचिका में प्रोसेस कर उच्च स्तर से आदेश प्राप्त कर स्पष्ट करा लेना होगा।

(iii) कर्मचारियों या पदाधिकारियों के स्थानान्तरण की सिफारिश या स्थानान्तरण रोकने के सम्बन्ध में दिनचर्या टिप्पणी का उपयोग कदापि नहीं किया जायगा।

3. दिनचर्या टिप्पणी संचिका में नोट शीट का भाग नहीं बनाया जायगा। अधिक से अधिक पत्राचार पक्ष में इसको रखा जा सकेगा।

विश्वासभाजन,
एस०के० मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या-सी०एस० 1।ए2-202।82---3829

22 कार्तिक, 1904(श०),
पटना-15, दिनांक---
13 नवम्बर, 1982 ई०।

प्रतिलिपि---राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के सचिव।सभी मंत्रिगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

एस०के० मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या-सी०एस० 1।ए2-202।82---3829

22 कार्तिक, 1904(श०),
पटना-15, दिनांक---
13 नवम्बर, 1982 ई०।

प्रतिलिपि---सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारी।आरक्षी महानिरीक्षक।आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

एस०के० मुखर्जी,
मुख्य सचिव।